

13/C/23

पत्रावली पेश हुई अधि० उममय  
उप० । मूलवाड 07 R 11 RPC के  
अन्तर्गत खारिज कर दिया है।

अतः प्राचीन पत्रा 212 R 11 act सारहीन  
केबूद हो जाने से खारिज किया  
जाता है। पत्रावली जलक होकर नम्बर  
ले कर हो। मूलवाड के साथ संलग्न  
रहे। निर्णय करे इल्लाम 465C

पुनाल गल

उपखण्ड अधिकारी  
इटावा, जिला कोटा